



कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 23/01/24 का कार्यवाही विवरण

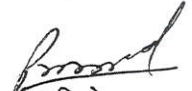
प्रकरण संख्या :

185/14

1	योजना/आवेदक का नाम/ आई डी नं० -	श्री नारायणलाल पिता श्री फतेहलाल एवं अन्य 103170			
2	खसरा नं० व ग्राम का नाम	4490/2417, 2419 राजस्व ग्राम डबोक			
3	कुल क्षेत्रफल	0.4209 हैक्टर (4209.00 वर्गमीटर)			
4	पहुँच मार्ग एवं मौका रिपोर्ट	आवेदित भूमि मौके पर रिक्त होकर पहुँच मार्ग वर्तमान में 40 फीट से अधिक उपलब्ध होता है।			
5	उदयपुर संशोधित मास्टर प्लान 2031/जोनल डवलपमेन्ट प्लान में भू-उपयोग	संशोधित मास्टर प्लान-2031 अनुसार आवासीय एवं जोनल डवलपमेन्ट प्लान अनुसार मिश्रित प्रयोजनार्थ दर्शित है। आवेदित आराजी भूमि AIRPORT AUTHORITY OF INDIA COLOR CODED ZONING MAP OF UDAIPUR AIRPORT के अनुसार RED ZONE में स्थित है जिसमें कोई भी निर्माण कार्य करने से पूर्व भारत सरकार के NOTIFICATION GSR 751 (E) के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से उचाई हेतु अनापति प्रमाण पत्र (N.O.C.) ली जानी आवश्यक होगी			
6	आवेदित उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्डों			
7	प्रस्तुत ले-आउट प्लान अनुसार क्षेत्रफल विश्लेषण।	RESIDENTIAL (PLOTS) 26804.00 वर्गफीट 59.18 प्रतिशत	ROAD 17576.84 वर्गफीट 38.82 प्रतिशत	RESERVED 908.00 वर्गफीट 02.00 प्रतिशत	TOTAL 45288.84 वर्गफीट 100.00 प्रतिशत
8	स्वामित्व रिपोर्ट	आवेदित भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ 90-क आदेश दिनांक 30-08-2024 को जारी हैं।			
Online Reports :					
9	नगर नियोजक की रिपोर्ट	संशोधित मास्टर प्लान-2031 अनुसार आवासीय एवं जोनल डवलपमेन्ट प्लान अनुसार मिश्रित प्रयोजनार्थ दर्शित है। आवेदित आराजी भूमि AIRPORT AUTHORITY OF INDIA COLOR CODED ZONING MAP OF UDAIPUR AIRPORT के अनुसार RED ZONE में स्थित है जिसमें कोई भी निर्माण कार्य करने से पूर्व भारत सरकार के NOTIFICATION GSR 751 (E) के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से उचाई हेतु अनापति प्रमाण पत्र (N.O.C.) ली जानी आवश्यक होगी।			
10	राजस्व निरीक्षक / कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट	आवेदित भूमि मौके पर रिक्त होकर पहुँच मार्ग वर्तमान में 40 फीट से अधिक उपलब्ध होता है।			
11	विधि अधिकारी की रिपोर्ट	आदिनांक को देखने रेकार्ड विधि शाखा कम्प्युटर प्रकरण रिकार्ड एवं ईडी प्रकरण सूची अनुसार राजस्व ग्राम डबोक के आराजी संख्या 4490/2417, 2419 से सम्बन्धित विवाद होना नहीं पाया जाता है। उक्त भूमि बाबत विवाद नहीं होने का पृथक से शपथ-पत्र लिया जाकर ही उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित हैं।			
12	भू-अवाप्ति अधिकारी की रिपोर्ट	राजस्व ग्राम डबोक के आराजी संख्या 4490/2417, 2419 (मूल आराजी 2417, 2419) की भूमि न्यास की अवाप्ति में नहीं हैं।			

13	ILR/ पटवारी की रिपोर्ट	आवेदित भूमि अर्जन/न्यायालय प्रकरण/विवाद/मंदिर माफी/निबंधन क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती है। भूमि किसी निबंधन क्षेत्र/लो लाइन एरिया/नाला/तालाब/नदी इत्यादि से प्रभावित नहीं है।
14	न्यास तहसीलदार की रिपोर्ट	आवेदित भूमि अर्जन/न्यायालय प्रकरण/विवाद/मंदिर माफी/निबंधन क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती है। भूमि किसी निबंधन क्षेत्र/लो लाइन एरिया/नाला/तालाब/नदी इत्यादि से प्रभावित नहीं है।
15	तहसीलदार की रिपोर्ट	आवेदित भूमि अर्जन/न्यायालय प्रकरण/विवाद/मंदिर माफी/निबंधन क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती है। भूमि किसी निबंधन क्षेत्र/लो लाइन एरिया/नाला/तालाब/नदी इत्यादि से प्रभावित नहीं है तथा भूमि के गैर कृषिक प्रयोजन हेतु अनुज्ञा प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।
16	अन्य बिन्दु	(1) पहुंच सड़को का मार्गाधिकार प्रस्तावित 60' फीट, 30' फीट रखा जाना अपेक्षित है। (2) टाउनशिप पालिसी-2010 की पालना सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है। (3) आवेदक को योजना के आंतरिक विकास बाबत टाउनशिप पालिसी-2010 के अनुसार तकमीने प्रस्तुत करने होंगे एवं तकमीनो का न्यास की अभियांत्रिकी शाखा से अनुमोदन उपरान्त तदनुसार विकास कार्य करने होंगे। (4) भूखण्ड/भूखण्डों का डिमाकेशन, क्षेत्रफल आदि की गणना मौके से की जानी अपेक्षित हैं। (5) अनुमोदित प्लान में दर्शित प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार आपसी लिंक/एलाईनमेन्ट का भौतिक रूप से सत्यापन मौके से किया जाना अपेक्षित हैं। (6) आवेदित आराजी भूमि AIRPORT AUTHORITY OF INDIA COLOR CODED ZONING MAP OF UDAIPUR AIRPORT के अनुसार RED ZONE में स्थित है जिसमें कोई भी निर्माण कार्य करने से पूर्व भारत सरकार के NOTIFICATION GSR 751 (E) के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से उचाई हेतु अनापति प्रमाण पत्र (N.O.C.) ली जानी आवश्यक होगी।

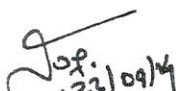

पटवारी / राजस्व निरीक्षक


वरिष्ठ प्रारूपकार / नगर नियोजन सहायक

निर्णय :- प्रस्तावानुसार समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। उल्लेखित बिन्दुओं की पूर्ति किए जाने की शर्त पर संलग्न सामान्य शर्तों के दृष्टिगत, तकनीकी रूप से ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

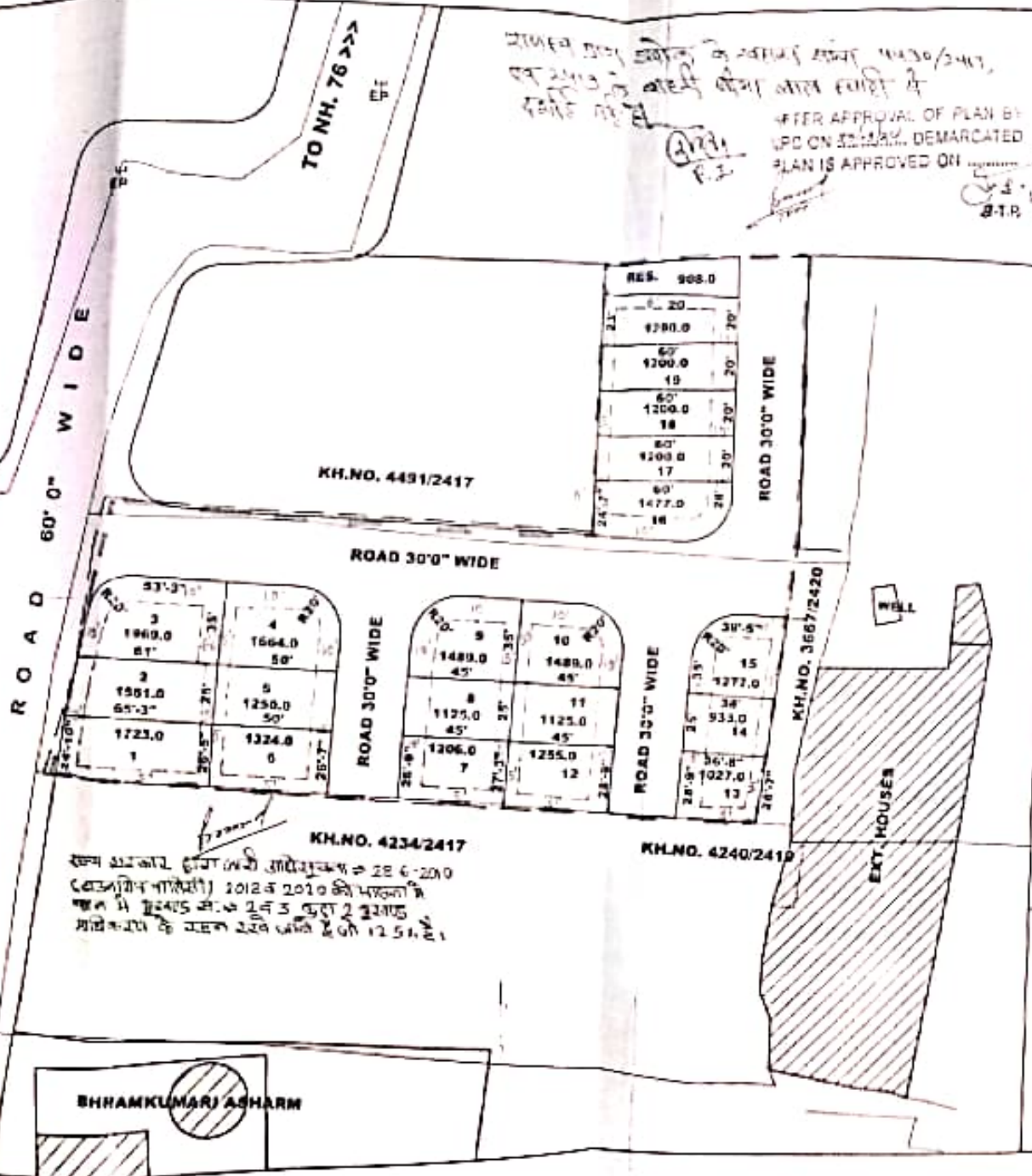

23/09/24
उपायुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर


23/09/2024
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर


23/09/24
वरिष्ठ नगर नियोजक
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर


आइ.ए.ए.ए.ए.
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर





पंजीकृत पावती

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: F.11() Region-II/ 2025/ 740

दिनांक : 19-2-2025

प्रेषित :-

श्री नारायण लाल, श्री भगवतीलाल, श्री मनोहरलाल, श्री रामलाल पिता श्री फतहलाल मेघवाल एवं श्रीमती मोतीबाई पत्नी श्री फतहलाल मेघवाल, निवासी - नान्दवेल, अम्बावाडी, डबोक, उदयपुर (राज.)।

विषय : पत्रावली संख्या 2024-25/103170, राजस्व ग्राम डबोक के आराजी संख्या 4490/2417, 2419 किता 02 रकबा 0.4209 हैक्टेयर भूमि की आवासीय परियोजना में रहन रखे गये भूखण्डों को रहनमुक्त करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि आप द्वारा 90-क नियमन/रूपान्तरण हेतु प्रस्तुत आवेदन संख्या 2024-25/103170, राजस्व ग्राम डबोक के आराजी संख्या 4490/2417, 2419 किता 02 रकबा 0.4209 हैक्टेयर भूमि की आवासीय योजना में आपके द्वारा करवाये गये आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करने पर प्राधिकरण स्तरीय जांच कमेटी की रिपोर्ट (अनुशंषा) एवं सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत योजना में रखे गये भूखण्ड संख्या 2 व 3 को रहन मुक्त किया जाता हैं।

(जितेन्द्र ओझा)
उपायुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

Document certified by Jitendra Ozha
<jitendra.ozha74@gmail.com>.

Digitally Signed by JI TENDRA
OZHA
Designation : Officer On Special
Duty
Date :19-02-2025 05:42:52